अनुसूची 14–फारम सं0– 462

आदेश–पत्रक

(देखें अभिलेख हस्तक, 1941 का नियम 126)

आदेश पत्रक – ता0..... से ..... तक

जिला..... सं0.....सन् 16.....

केश का प्रकार.....

आदेश की क्रम संख्या कीस तारीख 1	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर 2	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी, तारीख–सहित 3
	न्यायालय, उप निदेशक, कल्याण, कोशी प्रमंडल, सहरसा आँगनबाड़ी अपीलवाद सं0–81/2013 अपीलार्थी – सरिता देवी बनाम रेस्पोण्डेन्ट – राज्य सरकार –: **आदेश** :– प्रश्नगत अपीलवाद निम्न न्यायालय जिला प्रोग्राम पदाधिकारी मधेपुरा से पारित आदेश के विरूद्ध इस न्यायालय में अपील दायर किया गया है। संक्षिप्त में इस वाद सं0–81/2013 में मामला यह है कि श्रीमती सरिता देवी आँगनबाड़ी सेविका के पद पर केन्द्र सं0 35 नरेश पासवान टोला पंचायत– चौसा पश्चिमी, प्रखण्ड– चौसा, जिला– मधेपुरा में सेविका के पद पर कार्य कर रही थी। दिनांक 15.07.13 को 3:50 बजे अपराह्न में अनुमंडल पदाधिकारी उदाकिशुनगंज के द्वारा औचक निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के समय केन्द्र बन्द पाया गया। केन्द्र पर बोर्ड, पोस्टर एवं लाभार्थी की सूची नहीं पाया गया। किस लाभुक को कितना राशन देय होता है वह भी टंगा हुआ नहीं था। ज्ञातव्य हो कि T.H.R वितरण दिवस को केन्द्र संचालन 3:00 बजे अपराह्न तक ही होने का निर्धारित समय है, जबकि निरीक्षण 3:50 बजे अपराह्न को किया गया फिर भी सेविका/सहायिका कुछ समय के लिए केन्द्र पर रूकी हुई थी। उपस्थित लोगों ने उन्हें बताया कि केन्द्र नियमित नहीं चलता है आज भी काफी कम मात्रा में T.H.R का वितरण हुआ है उपस्थित लोगों में से एक ने बतलाया कि वितरित सोयाबिन में मकरी लगा हुआ है, सोयाबिन दबाने पर चुर–चुर हो गया, पूछने पर सेविका ने जबाव दिया कि मैं सोयाबिन के अन्दर घुसी नहीं हूँ, वे जिस ढंग से जबाव दे रही थी, वह बतमिजी (असंसदीय भाषा) प्रतीत हो रही थी। उक्त केन्द्र की सहायिका को केन्द्र का नाम भी पता नहीं था केन्द्र को	

देखने से नहीं प्रतीत होता था कि यह आँगनबाड़ी केन्द्र है, चयन मुक्ति की अनुसंशा की जाती है।

जिला प्रोग्राम पदाधिकारी मधेपुरा ने अपने ज्ञापांक 540 दिनांक 22.07.13 द्वारा उपरोक्त अंकित आरोप लगाते हुए दिनांक 27.07.13 को अपना स्पष्टीकरण समर्पित करने हेतु सेविका को आदेश निर्गत किया गया। निर्धारित तिथि पर सेविका द्वारा अपना स्पष्टीकरण जिला प्रोग्राम पदाधिकारी को समर्पित किया गया।

सेविका द्वारा अपना स्पष्टीकरण समर्पित करने के पश्चात् जिला प्रोग्राम पदाधिकारी मधेपुरा ने अपने ज्ञापांक 642–2 दिनांक 03.08.13 द्वारा सेविका को T.H.R वितरण में अनियमितता व अन्य आरोपों में चयन मुक्ति का आदेश निर्गत किया।

सेविका श्रीमती सरिता कुमारी द्वारा अपना स्पष्टीकरण समर्पित किये जाने वाले पत्र एवं जिला प्रोग्राम पदाधिकारी मधेपुरा द्वारा निम्न न्यायालय आदेश का मूल अभिलेख अवलोकन करने के पश्चात् एवं अपीलार्थी की ओर से विद्वान अधिवक्ता व सरकारी अधिवक्ता के बहस के दौरान यह बात सामने आया कि जिला प्रोग्राम पदाधिकारी ने अपने ज्ञापांक 642–2 दिनांक 03.08.13 के द्वारा एक ही साथ जाँच की तिथि 15.07.13 एवं 22.07.13 को 7 केन्द्रों से अधिक का औचक निरीक्षण किया गया जिसमें जिला के विभिन्न वरीय पदाधिकारी द्वारा केन्द्रों का निरीक्षण किया गया।

इन सभी केन्द्रों पर लगभग एक ही समान आरोप लगाए गए जिसमें T.H.R वितरण में लाभुक को कम मात्रा में अनाज देना, लाभार्थी बच्चे का कम होना, एवं केन्द्रों पर लाभार्थी की सूची, पोस्टर, बैनर का टंगा नहीं होना यही आरोप लगाए गए।

जिला प्रोग्राम पदाधिकारी मधेपुरा ने संबंधित सभी आरोप सेविका से स्पष्टीकरण पूछने के उपरांत कुछ सेविका को दण्ड स्वरूप राशि भुगतान करने का आदेश दिए, जबकि कुछ सेविका को चेतावनी देकर छोड़ दिया गया। किन्तु अपीलार्थी सरीता देवी को न तो कोई दण्ड स्वरूप राशि निर्धारित की गई बल्कि उन्हें काफी कठोर दण्ड सेविका पद से चयन मुक्त का पत्र हस्तगत कराया गया। अपीलार्थी के अधिवक्ता ने यह उल्लेख किया कि यहाँ स्मरणीय हो कि जब लगभग एक ही तरह के आरोप संबंधित जाँच कर्त्ता द्वारा लगाए गए तो एक के साथ नरमी बरतने, चेतावनी देकर छोड़ने, भविष्य में ऐसी घटना न हो, तो दूसरे के साथ कठोरतम दण्ड देना वह भी पद से चयन मुक्ति का, यह नैसर्गिक न्याय के सर्वथा विपरीत है। समाज कल्याण विभाग के संचिका सं0 I.C.D.S./35010/1-2012/2120 दिनांक 20.06.2012 में भी यह स्पष्ट अंकित है कि आँगनबाड़ी केन्द्र की जाँच के पश्चात् एक सामान परिस्थिति में एक जैसा निर्णय लिया जाना चाहिए। जिसका यहाँ सर्वथा अभाव पाया गया।

अपीलार्थी के ओर से विद्वान अधिवक्ता ने यह भी अपना पक्ष रखा कि समाज कल्याण विभाग के पत्र संचिका सं0 I.C.D.S./35010/1-2012/956 दिनांक 14.03.12 के उक्त पत्र

की कंडिका 3 के क्रमांक 1 में यह भी अंकित है कि जाँच पदाधिकारी बिल्कुल स्पष्ट मंतव्य अंकित करेंगे। इस पत्र की कंडिका 3 के क्रमांक 1 में यह भी अंकित है कि जाँच पदाधिकारी बिल्कुल स्पष्ट मंतव्य अंकित करेंगी साथ ही संबंधित केन्द्र के तीन लाभुकों का लिखित बयान लेने चाहिए एवं बयान जो अंकित किया जाएगा वह आँगनबाड़ी केन्द्रों के पंजीकृत बच्चों, अभिभावकों, माता/पिता के होने चाहिए। किन्तु जाँच पदाधिकारी ने अपने निरीक्षण टिप्पणी में यह भी अंकित नहीं किए हैं कि जो सोयाबिन उन्हें जो दिखाया गया वह वास्तव में उसी दिन का उसी केन्द्र पर वितरित किया गया था, या अन्य जगह से लाकर दिखाया गया था चूँकि अपीलार्थी सेविका ने अपने स्पष्टीकरण में यह भी अंकित किए हैं कि मेरे विरोधी द्वारा पूर्वाग्रह से ग्रसित होकर मकरी लगा हुआ सोयाबिन किसी दूसरी जगह से लाकर अनुमंडल पदाधिकारी को दिखाया गया।

उपरोक्त सारे विवेचना का गहन अवलोकन एवं अपीलार्थी की ओर से विद्वान अधिवक्ता एवं सरकारी अधिवक्ता के द्वारा अपना–अपना पक्ष रखते हुए इस निष्कर्ष पर पहुँचा कि चूँकि आँगनबाड़ी केन्द्र में गरीब बच्चों एवं बेसहारा बच्चों, गर्भवती माताओं, धातृ माताओं के लिए पोषाहार योजना व T.H.R व छह अन्य महत्वपूर्ण कार्यक्रम चलाए जाते हैं, अतः इन योजनाओं का कार्यान्वयन सही मायने में लाभुकों को मिलना चाहिए। इस संबंध में सरकारी अधिवक्ता ने अपना पक्ष रखते हुए यह बाताया कि सरकार द्वारा आँगनबाड़ी केन्द्रों पर समाज के गरीब बच्चों, खासकर बेसहारा बच्चों, गर्भवती माता, धातृ माताओं के लिए योजनाऐं चलाती हैं, तो उसका कार्यान्वयन सही रूप में होना चाहिए, किन्तु सेविका सरिता देवी द्वारा केन्द्र के सूचना पट पर लाभुकों की सूची प्रदर्शित न करना, कितना–कितना राशन (T.H.R) लाभुकों को देय होता है, उल्लेख न होना, उसके क्रियाकलापों को दर्शाता है, साथ ही निरीक्षी पदाधिकारी के साथ सही व उचित भाषा का प्रयोग न करना भी उनकी मानसिकता को परिलक्षित करता है, अतः दण्ड स्वरूप निम्न न्यायालय का आदेश सही प्रतीत होता है।

उपरोक्त सारे निष्कर्ष, विवेचना, पक्ष एवं विपक्ष के अधिवक्ता द्वारा पक्ष एवं कागजातों के निरीक्षण के आधार पर यह न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुँची कि निम्न न्यायालय जिला प्रोग्राम पदाधिकारी का आदेश पूर्णतः सही नहीं है, नैसर्गिक न्याय के विपरीत है, क्योंकि T.H.R वितरण में किसी भी लाभुकों का अनियमितता बरतने का आरोप लिखित रूप से नहीं लिया गया। कमोवेश जाँच दल द्वारा लगभग छह केन्द्रों पर एक सामान आरोप सभी केन्द्रों पर लगाया गया तो फिर किसी को दण्डस्वरूप लघुदण्ड राशि वसूल कर छोड़ दिया गया किसी को भविष्य में ऐसी गलती न हो चेतावनी देकर छोड़ा गया, किन्तु केन्द्र संख्या 35 की सेविका को कठोर दण्ड वह भी चयनमुक्ति का यह न्याय नैसर्गिक न्याय के सर्वथा विरूद्ध है। अतः यह न्यायालय जिला प्रोग्राम पदाधिकारी मधेपुरा के आदेश को निरस्त करती है तथा सेविका श्रीमती सरिता देवी को सही रूप में पोषाहार वितरण न करने व जाँच पदाधिकारी के साथ असंसदीय

भाषा का प्रयोग करने के आरोप में पन्द्रह दिनों की पोषाहार राशि दण्ड स्वरूप में निर्धारित कर सरकारी खजाने में जमा करने का निर्देश देती है एवं आदेश निर्गत की तिथि से सेविका पद 'पर पुनः कार्य करने के लिए आदेशित करती है।

सेविका श्रीमती सरिता देवी को निदेशित किया जाता है कि वे सही रूप से समेकित बाल विकास कार्यक्रमों को क्रियान्वयन करेंगी। वे पूरी जबावदेही एवं मुस्तैदी के साथ कार्य करेंगी। भविष्य में केन्द्र संचालन में अनियमितता न हो, इसका ख्याल करेंगी अन्यथा प्रशासन को पुनः कठोरतम दण्ड देने हेतु निर्णय लेने हेतु बाध्य न होना पड़े।

लेखापित एवं संशोधित

17.11.2014.

उप निदेशक, कल्याण
कोशी प्रमंडल, सहरसा

17.11.2014.

उप निदेशक, कल्याण
कोशी प्रमंडल, सहरसा